रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2014/आषाढ़ 5, 1936

No. 335] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2014/ASADHA 5, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2014

सा.का.नि. 420 (अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति का विनियमन) नियमावली, 1987 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2014 होगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति का विनियमन) नियमावली, 1987 के नियम 3 के उप-नियम (3) में खंड (i) में परन्तुक के लिए निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि यदि एक सीधी भर्ती वाले अधिकारी को लिखित में वैध कारणों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत आबंटन के उत्तरवर्ती वर्ष के सीधी भर्ती वाले अधिकारियों के साथ परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के लिए अनुमति दी जाती है तो उक्त अधिकारी का आबंटन वर्ष उस अधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के वर्ष का अगला वर्ष होगा और उक्त अधिकारी को अखिल भारतीय ग्रेड सूची के अंतिम स्थान पर और उस वर्ष की राज्य ग्रेड सूची के भी अंतिम स्थान पर रखा जाएगा ।"

[सं. 14014/1/2013-अभासे-I]

पी. के. दास, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मुख्य नियम दिनांक 6 नवम्बर, 1987 के संख्या सा.का.नि. 896(अ) के द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खंड 3(i) में प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या के साथ दी गई तिथियों को पुनः संशोधित किए गए थे:

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	तिथि
1.	42(अ)	18/01/1988
2.	77(अ)	03/02/1989
3.	736(अ)	31/12/1997
4.	549(अ)	30/08/2005
5.	300(अ)	18/04/2012

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2014

G.S.R. 420(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Rules, 1987 in sub-rule (3) rule 3, in clause (i), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that if a direct recruit officer is permitted, on the valid reasons to be recorded in writing, to join probationary training under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, with direct recruit officers of subsequent year of allotment, then the year of allotment of the said officer shall be the year following the year in which that officer's competitive examination was held and the said officer would be placed at the bottom of All India gradation list and also at the bottom of State gradation list of that year."

[No. 14014/1/2013-AIS-I]

P. K. DAS, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(i) *vide* number G.S.R. 896(E), dated the 6th November, 1987 and further amended *vide* the following G.S.R. numbers with respective dates :

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	42(E)	18/01/1988
2.	77(E)	03/02/1989
3.	736(E)	31/12/1997
4.	549(E)	30/08/2005
5.	300(E)	18/04/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.